14. रिप्पू संतान स्व0 श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी धरिगांवाली तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज0)।
15. सुमनदीप कौर संतान स्व0 श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी धरिगांवाली तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज0)।
16. सतवीर कौर संतान स्व0 श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी धरिगांवाली तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज0)।
17. आदेवसिंह पुत्र स्व० श्री बुल्लासिंह जाति जटसिख निवासी धरिगांवाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज०)–मृतक

17/1–गुरदीप कौर पत्नी स्व. श्री आदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम.एम. (धरिगांवाली) तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

17/2–परमजीत सिंह पुत्र स्व. श्री आदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 2 एम. एम. (धरिगांवाली) तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

17/3–परविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री आदेव सिंह जाति जटसिख 2 एम.एम. (धरिगांवाली) तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

17/4–परमजीत कौर पुत्री स्व. श्री आदेव सिंह पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 20 एस.डी. तहसील श्रीविजयनगर जिला अनूपगढ़।

17/5–राजवीर कौर पुत्री स्व. श्री आदेव सिंह पत्नी श्री सुखदर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी जोधेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

17/6–गुरमीत कौर पुत्री स्व. श्री आदेव सिंह पत्नी श्री मान सिंह जाति जटसिख निवासी 37 बी.बी. तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

18. सुखदेवसिंह पुत्र स्व० श्रीबुल्लासिंह जाति जटसिख निवासी 75 एन०पी० तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (राज०)
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर।

–प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ताः–

1. श्री गुरताप सिंह वादी अधि.।
2. श्री अनिल कडवासरा 2 ता 4 प्रतिवादीगण अधि.।
3. श्री सोहनलाल 16 ता 18 प्रतिवादीगण अधि.।

––निर्णय–– दिनांक 06.02.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है जिनके मध्य रक्त संबंध है। वादी के स्व0 पिता आत्माराम ने अपने जीवनकाल में अपने भाईयों प्रतिवादीगण रामसिंह, सुखदेवसिंह, आदेवसिंह, स्व0 तेजसिंह व स्व0 हरदेव सिंह के साथ संयुक्त रूप से पूर्ण प्रतिफल अदा करते हुये जरिये पंजीकृत बैयनांमा दिनांक 09.01.1975 को तत्कालीन राजस्व अभिलेख अनुसार लालपुरा बड़ा तहसील रायसिंहनगर का खसरा नं. 34/1 के किला नं. 1–2–9–10–11–12–20 प्रत्येक सालम–सालम, 19 की 0–10 बिस्वा वा तत्कालीन समय पी.टी.डी. माईनर से सिंचित किला नं. 22 की 0–08 बिस्वा कुल 7–18 बिस्वा भूमि काहन सिंह वगैरा पि० रंगासिंह से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर काबिज हो गये। यहां यह उल्लेख करना न्यायोचित होगा कि समयानुसार समस्त रकबा सिंचित होने वा खाला व रास्ता के समायोजन पश्चात हुवे परिवर्तन अनुसार उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में वाके चक 14 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 273/340 मुरब्बा नं. 27 के किला नंबर 1/2 की 0.203है0 कमाण्ड मय खाला, 2 की 0.253 है0 मय खाला, 9 की 0.253 है0, 10/2 [illegible]/2 की 0.202है0 कमाण्ड, 12 की 0.253है0 कमाण्ड, 19 की 0.253 [illegible], 20/2 की 0.203है0 कमाण्ड, 21/2 की 0.063 है० कमा[illegible] कुल 1.898है0 कमाण्ड मय खाला के रूप में दर्ज हुई ओर [illegible] यह उल्लेख [illegible] भी न्यायोचित होगा कि बैयनांमाजात अनुसार अमलदरामद [illegible] हल्का पटवा[illegible] देने पर दिये गये आश्वासन व विश[illegible]मगर सहबन अभिलेखों [illegible] अमलदरामद नही हुआ ओर रकबा मूल खातेदारान गणपत[illegible] वगैरा के नाम से ही रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:36:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

वादी के पिता अपने भाईयों के साथ संयुक्त परिवार धारण करते थे ओर पारिवारिक व्यवस्था अनुसार उनके मध्य हुवे बाहमी बंटवारा वा व्यवस्था अनुसार विवादित रकबा कय करने के 2–3 साल बाद ही वादी के पिता आत्मासिंह के हिस्सा में आकर उनके एकल कब्जा में आने उपरांत उन्होने अपने आपको मालिक/खातेदार मानते हुये अपने जीवनकाल में वा उनके देहान्त उपरांत वादी ने काफी शारीरिक मेहनत व खर्चा लगाकर बजड़ निकालते हुये उपजाऊ बनाया। इस प्रकार विवादित रकबा पर लगभग 40 सालों से कब्जा काश्त वादी के पिता आत्मासिंह का निर्बाध रूप से बिना किसी विवाद के प्रतिवादीगण के ज्ञान वा जानकारी में चला आ रहा है। यह कि पारिवारिक व्यवस्था वा बंटवारा अनुसार प्रतिवादीगण या अन्य के विवादित रकबा में कोई हक हकूक वा अधिकार शेष नहीं है ना ही उन्होने हक हकूक वा अधिकार मानते हुये कब्जा की मांग की है, मगर प्रतिवादीगण अब पारिवारिक मनमुटाव के कारण बिना बजह वादी को नाहक हेरान परेशान करने के लिये धमकी दे रहे कि वे वादी को विवादित रकबा से जबरन बेदखल कर कब्जा करेगें। इसलिये वादी वाद लाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादीगण से अनुरोध किया कि वे विवादित रकबा का बैयनांमाजात अनुसार अभिलेखों में अमलदरामद करवाते हुये उस पर पारिवारिक व्यवस्था वा बाहमी बंटवारा अनुसार वादी के खातेदारी हक–हकूक वा अधिकारों को स्वीकारते हुये वादी के नाम से नामान्तरित करवाने की अपेक्षित कार्यवाही करें तो प्रतिवादीगण प्रथमतः टालमटोल पश्चात अंततः दिनांक 04–11–2018 को बमुकाम 75एन०पी० में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार करते हुये वादी को विवादित रकबा से जबरन बलपूर्वक–विधिविरूध वा दोषपूर्ण तरीके से बेदखल करने की धमकी दी. यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत है। वादी के समक्ष स्थाई व्यादेश एंव वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नही रहा है। प्रतिवादीगण को विवादित रकबा पर कोई हक हकूक वा मलकियती व खातेदारी हक हकूक वा अधिकार शेष नही है जबकि वादी विवादित रकबा को बिना किसी अवरोध के निर्बाध रूप उपयोग–उपभोग कर पाने का विधिक अधिकारी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण का उक्त कृत्य अवैधानिक व गैरकानूनी है, उन्हे ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नही है। इसलिये वादी प्रतिवादीगण को उनके उक्त अवैधानिक व गैरकानूनी कृत्य को जरीये स्थाई व्यादेश रोक पाने का अधिकारी होने से स्थाई व्यादेश प्राप्ति का विधिक अधिकारी है। वादी विवादित रकबा पर पुराने कब्जा वा पारिवारिक व्यवस्था वा बाहमी बंटवारा के आधार पर विवादित रकबा पर बतौर खातेदार साधिकार काबिज होने से अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवा पाने का भी विधिक अधिकारी है। अगर प्रतिवादीगण अपने अवैधानिक वा गैरकानूनी कृत्य में कामयाब होकर अपनी धमकी अनुसार वादी को विवादित रकबा से वादी को जबरन–बलपूर्वक विधि विरूध वा दोषपूर्ण तरीके से बेदखल करते हुये अन्य को हस्तान्तरित करने में कामयाब हो गये तो उससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी, मानसिक परेशानी होगी, अपव्यय होगा, मुकदमाबाजी बढ़ेगी जिन सबसे होने वाले नुकसान को मुद्राओं में नहीं आंका जा सकेगा। इसप्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अपूर्णिय क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में प्रमाणित है। प्रतिवादी सं० 19 भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार मुकदमा होने से उसे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश है। अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी सादिर फरमाया जावेंः–कि स्थाई व्यादेश बहक वादी विरूध प्रतिवादीगण इस आशय का पारित फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण विवादित रकबा वाके चक 14 पी. टी.डी. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 273/340 मुरब्बा नं. 27 के किला नंबर 1/2 की 0.203है0 कमाण्ड मय खाला, 2 की 0.253 है0 मय खाला, 9 की 0.253 है0, 10/2 की 0.203 है0 कमाण्ड, 11/2 की 0.202है0 कमाण्ड, [illegible] की 0. 253है० कमाण्ड, 20/2 की 0.203 है0 कमाण्ड, 22 की 0.012है0 [illegible] 1.898है० कमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि पर [illegible] काश्त, उपयोग–उपभोग व सिंचाई सुविधा में स्वंय या अ[illegible] व्यक्तियों [illegible]यम से वादी को जबरन–बलपूर्वक विधिविरूध तरीके से बेदख[illegible] से व रिकार्ड व मौका की स्थिति में परिवर्तन कर[illegible] ऐसा कोई भी कृत्य न करे जिससे वादी अपने उक्त रकबा से बेदखल व [illegible]त होता हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:36:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

बैयनामाजात अनुसार विवादित रकबा का अभिलेखों में अमलदरामद करने वा विवादित रकबा पर वादी के पुराने कब्जा वा पारिवारिक व्यवस्था वा बाहमी बंटवारा अनुसार खातेदारी अधिकार होना घोषित करते हुये राजस्व रिकार्ड में तदनुसार अमलदरामद करने के आदेश फरमायें।

2 वाद पत्र पेश होने पर दर्ज किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति. सं. 1–6 ता 18 की तरफ से श्री सोहन वर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा के साथ जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि को छोड़कर शेष भूमि का ही बंटवारा काफी अरसा पूर्व हुआ और विवादित भूमि का बाहमी घरेलू बंटवारा पक्षकारान की आपसी सहमति वा रजामंदी से कुछ अरसा पहले ही हुआ है, बंटवारा पश्चात प्रत्येक हिस्सेदार अपने–अपने हिस्से में आये रकबा पर काबिज चला आ रहा है। चूंकि प्रतिवादीगण अलग–अलग जगह पर निवास होने के कारण अपने–अपने हिस्सा की भूमि को सुविधानुसार हिस्सा–ठेका पर काश्त करवाते आ रहे है ओर सालाना हिस्सा या ठेका राशि प्राप्त करते है। वादी अथवा उसके पिता का एकल कब्जा कभी नही रहा है ना ही वर्तमान में है। इसलिये इस मद में दर्ज समस्त तथ्य झूठे, आधारहीन वा साक्ष्यहीन है जो मात्र वाद की तकमील पूरी करने के लिये दर्ज किये है। विवादित रकबा का प्रत्येक हिस्सेदारान के मध्य आपसी सहमति या रजामन्दी से घरेलू बाहमी बंटवारा कुछ अरसा पहले ही हुआ है। इसलिये वादी अथवा उसके पिता का एकल कब्जा होने का तथ्य निराधार है. प्रतिवादीगण के अधिकार क्रय के दिन से वर्तमान तक निरन्तर निहित है। चूंकि प्रतिवादीगण अलग–अलग जगह पर निवास करने के कारण स्वंय अपने–अपने हिस्सा की भूमि को यहां आकर काश्त करने में असुविधा होने के कारण वादी उनकी इस मजबूरी का बेजा फायदा उठाने की चेष्टा के अन्तर्गत प्रकरण मिथ्या वा साक्ष्यहीन तथ्यों पर प्रस्तुत कर येनकेनप्राकेरण विवादित भूमि अकेला हडपना चाहता है। इसलिये उसने प्रतिवादीगण से उनके हिस्सा की भूमि ठेका पर लेकर ठेका राशि अदा नहीं कर प्रकरण पेश कर दिया। जबकि इससे जब भी विवादित भूमि को उनसे हिस्सा या ठेका पर उसने अथवा उसके पिता ने लिया तब–तब प्रतिवादीगण को हिस्सा राशि अथवा ठेका राशि अदा की जाती रही है। वादीगण को कोई बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत हासिल नहीं है। वैयनांमा अनुसार अमलदरामद की कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग देने में हमेशा तत्पर रहे है। जैसा कि ऊपर की मदों के जबाव में दर्ज किया जा चुका है वादी को एकल रूप से किसी प्रकार से कोई खातेदारी हक–हकूक वा अधिकार प्राप्त नहीं होने से ना तो वे ऐसे किसी अधिकारों की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है और विवादित रकबा का कुछ अरसा पूर्व हुये बाहमी बंटवारा अनुसार काबिज होने से वादी कोई अनुतोष वा स्थाई व्यादेश पाने का अधिकारी नहीं है। वादी ने धमकी देने वा अन्य सभी तथ्य वाद की तकमील पूरी करने वा बिनाये वाद कारण दर्शाने के आशय से मिथ्या वा साक्ष्यहीन दर्ज करवाये है वादी वांछित अनुतोष वा व्यादेश प्राप्ति का कोई अधिकारी नही है। इसलिये वादी को किसी प्रकार से अपूर्णिय क्षति होने, मानसिक परेशानी होने अपव्यय होने का अन्देशा नही है ओर रही मुकदमाबजी बढ़ने की बात तो उसके लिये वादी स्वंय जिम्मेवार है और मुकदमाबाजी स्वंय वादी पैदा कर प्रतिवादीगण को नाहक हेरान–परेशान कर उनकी विवादित भूमि हड़प उन्हे भारी अपूर्णिय क्षति पहुंचाने की कुचेष्टा में है। इसलिये प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में कतेई प्रमाणित नहीं होकर प्रतिवादीगण के पक्ष में है। वादी को वाद लाने का कोई कानूनी अधिकार नही होने से वाद वादी नाकाबिल चलने के है। अतिरिक्त आपति वा कांऊटर क्लेम मे प्रतिवादीगण ने कथन किया है कि रिकार्डड खातेदार आवश्यक पक्षकार थे, जिसे पक्षकार नही बनाया। इस प्रकार पक्षकारों के कुसंयोजन वा असंयोजन का दोष होने के कारण वाद वादी काबिल निरस्ती के है। वादी को मिन प्रतिवादीगण के विरूध कोई बिनाये दावा बिनाये मुखास[illegible] नही होने से वाद वादी काबिल निरस्ती के है। वादी द्वारा कोई लिखित [illegible] समझौता या बंटवारानांमा भी पेश नही किया है, जिसके अ[illegible] नहीं है। वादी खातेदार टिनेन्ट नही होने से वाद लाने [illegible]री नहीं है [illegible]लिये वाद वादी काबिल निरस्ती के है। प्रतिवादीगण बैयनामा [illegible]द करवाते हये अपने खातेदारी अधिकारी की घो[illegible] बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवाने पाने के वा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अम[illegible]रामद करवा पाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:36:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

के विधिक अधिकारी है। मगर वादी ने प्रतिवादीगण को ऐसी कार्यवाही में अपेक्षित सहयोग न देकर झूठे तथ्यों पर वाद पेश किया है। इसलिये कांऊटर क्लेम पेश किया जा रहा है। यही बिनाये मुखास्मत व बिनाये दावा है। कांऊटर क्लेम माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अंदर मियाद पेश है। वादी सद्भावी नही है उसने वाद मिथ्या वा आधारहीन तथ्यों पर प्रतिवादीगण को नाहक हैरान परेशान करने वा नुकसान पहुंचाने के आशय से पेश किया है, जो काबिल निरस्ती के है ओर मिन प्रतिवादीगण वादी से विशेष हर्जाना कम से कम 20 हजार रूपये पाने के अधिकारी है। अतःजबाव दावा मय कांऊटर क्लेम मय हल्फनांमा पेश कर निवेदन है कि वाद वादी मौजूदा स्तर पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर खर्चा जबावदेही वा विशेष हर्जाना मिन प्रतिवादीगण को वादी से दिलाया जावे। एंव कांऊटर क्लेम बहक प्रतिवादीगण विरूद्ध वादी स्वीकार करते हुये इस आशय की घोषणात्मक डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण विवादित रकबा के बैयनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा पाने वा तदनुसार खातेदारी अधिकारों को घोषित करवा पाने एवं बाहमी बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवा अपना–अपना खाता अलग–अलग करवा तदनुसार लगाान आदि मुकर्र करवा पाने के अधिकारी है। सरकार की तरफ से राजपेरोकार नायब तहसीलदार समेजा कोठी ने जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:–

(i) आया कि वादी चक 14 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 273/340 मुरब्बा नं. 27 के किला नंबर 1/2 की 0.203है0,, 2 की 0.253 है0, 9 की 0.253 है0, 10/2 की 0.203 है0, 11/2 की 0.202है0, 12 की 0.253है0, 19 की 0.253है, 20/2 की 0.203 है0, 22 की 0.012है0 कुल 1.898 है. खातेदारी कृषि भूमि पर लगातार कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग के कारण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है। —:जिम्मेवादी

(ii) आया कि प्रतिवादीगण विवादित रकबा के बैयनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने, बाहमी बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है। —:जिम्मेप्रतिवादी

(iii) अनुतोषः–

4. वादीगण की तरफ से अपने वादपत्र के समर्थन में गुरविन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री जगसीरसिंह जाति जटसिख ने दिनांक 09.10.2025 को शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश कर कथन किया है कि उक्त शपथ–पत्र पर पढ़–सुन व सही मानकर हस्ताक्षर किये। साक्ष्य/दस्तावेज में वादी द्वारा रजिस्ट्री दिनांक 09.01.2026 प्रदर्श–1 है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श–1(**A**) है। बैयनामा दिनांक 21.07.1967 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श–2 है जमाबंदी विवादित रकबा प्रदर्श–3 है पानी की मामला पर्ची प्रदर्श–4 ता प्रदर्श–12 है विवादित भूमि की पानी की पर्ची प्रदर्श–13 ता 24 तक है मृत्यु प्रमाण पत्र अदेव सिंह प्रदर्श–25 है जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श–25 (**A**) है। मृत्यु प्रमाण पत्र रामसिंह प्रदर्श–26 है चित्रप्रति प्रदर्श 26(**A**) है। मृत्यु प्रमाण–पत्र हरदेवसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श–27 है। जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श–27(**A**) है। आत्मासिंह का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–28 है जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श–28(**A**) है। जगसीरसिंह का मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रदर्श–29 है जिसकी चित्रप्रति प्रदर्श–29(**A**) है। यह बात सही है कि उक्त भूमि का इंतकाल मेरे दादा के नाम से नहीं हुआ। यह बात सही है कि उक्त भूमि पर कब्जा मेरा ही चला आ रहा है साक्ष्य वास्ते अन्य साक्ष्य में मंगलसिंह पुत्र श्री कश्मीर सिंह जाति रायसिख ने दिनांक 28.10.2025 के ब्यान में कथन किया है कि प्रदर्श–1 पर **A** से **B** हस्ताक्षर मेरे पिता कश्मीरसिंह के है उनकी मृत्यु दिनांक 18.08.2018 को हो चुकी है प्रदर्श–1 के बारे में मेरे पिता ने कई बार बताया है मैं मेरे पिता के हस्ताक्षर इसलिए पहचान सकता हूँ कि मेरे पिता को कई बार हस्ताक्षर करते देखा है विवादित भूमि का कब्जा आज [illegible] के पास है मेरे पिता सरपंच भी रह चुके है उक्त रकबा के बैयनामा की [illegible] कार [illegible] बैयनामा के पक्षकारान को मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ।

5. प्रतिवादी की तरफ से अपने वादपत्र के समर्थन में परमजीत सिंह [illegible] श्री आदेव सिंह जाति जटसिख साकिन 2 एमएम धीरंगावाली ने दिनांक 13.11.2025 को शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश कर कथन किया। मेरे पिता का नाम आदेव सिंह है वाद [illegible] रकबा मेरे पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:36:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

व अन्य चाचा द्वारा वर्ष 1975 में खरीद किया गया। वादग्रस्त रकबा का कब्जा काश्त समस्त खरीददार का है लेकिन घरेलू बंटवारे में गुरविन्द्रसिंह पुत्र जगसीरसिंह को हिस्सा में प्राप्त है वही काश्त करता है बैयनामा दिनांक 09.01.1975 की बैयनामा की कॉपी आदेव सिंह आदि ने हल्का पटवारी को दे दी थी इंतकाल आज दिनांक तक नहीं हुआ है। तहसीलदार महोदय के समक्ष भी इंतकाल बाबत पेश हुए। लेकिन उन्होने माननीय न्यायालय के आदेश से इंतकाल होना बताया। इसलिए माननीय न्यायालय में काउंटर क्लेम पेश किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से सतवीरसिंह पुत्र श्री हरदेवसिंह जाति जटसिख ने दिनांक 13.11.2026 को साक्ष्य वास्ते शपथ पत्र पेश कर ब्यान किये कि वादग्रस्त रकबा मेरे पिता व पिता के भाईयों द्वारा सन् 1975 को खरीद किया गया। उस रोज से खरीददारों का कब्जा चला आ रहा है। यह कहना गलत है कि घरेलू बंटवारे में उक्त वादग्रस्त रकबा जगसीरसिंह के पिता आत्मासिंह को प्राप्त हुआ हो। वादग्रस्त रकबा का समस्त लगान वादी जगसीरसिंह व उसका पुत्र गुरविन्द्रसिंह अदा करता आ रहा है हमारे पिता व उसके भाईयों द्वारा तहसीलदार महोदय को इंतकाल बाबत निवेदन किया था तहसीलदार द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश से इंतकाल होना बताया था यह कहना सही है कि पानी की पर्ची वादी गुरविन्द्रसिंह व उसके पिता जगसीरसिंह को प्राप्त होती है यह कहना सही है कि मेरे पिता हरदेवसिंह व मै सतवीर सिंह धरिंगावाली तहसील पदमपुर में रहता हूँ कब्जा काश्त वादीगण का चला आ रहा हे अज खुद कहा कि समस्त खरीददार वादीगण से हिस्सा ठेका प्राप्त करते है।

6. प्रार्थी गुरदेवसिंह पुत्र श्री जगरसिंह पुत्र श्री रंगासिंह ने दिनांक 02.01.2025 को प्रार्थना पत्र. आदेश 1 नियम 10 एवं 151 सीपीसी पेश किया जो दिनांक ता 6 की तरफ से दिनांक 08.05.2024 को प्रार्थना पत्र आ. 7 नि. 11 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। जो दिनांक 10.10.2024 को खारिज किया गया। प्रति. सं. 1 ता 6 की तरफ से प्रार्थना पत्र आ. 14 नि. 2 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर विधिक तनकीयात कायम का निर्णय लिया गया। दिनांक 09.05.2025 को प्रति. सं. 2 ता 6 की तरफ से प्रार्थना पत्र आ. 22 नि. 4 व धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। जिस पर वादी अधि. ने कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर संशोधित शीर्षक पेश किया गया।

7. प्रार्थी गुरदेवसिंह पुत्र श्री जगर सिंह पुत्र श्री रंगासिंह जाति रायसिख ने दिनांक 23.12. 2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया जो दिनांक 25.06.2024 को अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गयां। प्रार्थी गुरविन्द्रसिंह पुत्र जगसीरसिंह ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 सीपीसी पेश किया जो दिनांक 30.05.2024 प्रतिवादीगण को एतराज नहीं होने पर स्वीकार किया गया।

8. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। हम प्रकरण का तनकी वार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक समझते है जो निम्नानुसार है:–

तनकी संख्या (i) आया कि वादी चक 14 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 273/340 मुरब्बा नं. 27 के किला नंबर 1/2 की 0.203है0,, 2 की 0.253 है0, 9 की 0.253 है0, 10/2 की 0.203 है0, 11/2 की 0.202है0, 12 की 0.253है0, 19 की 0. 253है, 20/2 की   0.203 है0, 22 की 0.012है0 कुल 1.898 है. खातेदारी कृषि भूमि पर लगातार कब्जा काश्त, उपयोग–उपभोग के कारण विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी व्यादेश प्राप्त करने का अधिकारी है।
–:जिम्मेवादी

तनकी संख्या (ii) आया कि प्रतिवादीगण विवादित रकबा के बैयनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवा खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने, बाहमी बंटवारा अनुसार खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है।
–:जिम्मेप्रतिवादी

उक्त दोनों विवाद्यक एक दूसरे से संबंधित है तथा विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर हैं। वादीगण ने विवादित भूमि चक 14 पी.टी.डी. के पं.नं. 273/340 मुरब्बा नं. 27 के किला नंबर 1/2 की 0.203है0,, 2 की 0.253 है0, 9 की 0.253 है0, 10/2 की 0.203 है0, 11/2 की 0.202है0, 12 की 0.253है0, 19 की 0.253है, 20/2 की 0.203 है0, 22 की 0.

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:36:41 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

012है0 कुल 1.898 है. खातेदारी भूमि का बैयनामा दिनांक 09.01.1975 की छायाप्रति पेश की है साक्ष्य के दौरान वादीगण ने प्रदर्श–1(A) से प्रदर्श–29(A) तक प्रस्तुत कर कब्जा साबित किया है तथा प्रतिवादीगण ने जवाब दावा में काउन्टर क्लेम पेश कर बैयनामा दिनांक 09.01.1975 अनुसार वादपत्र स्वीकार करने एवं वादीगण का कब्जा काश्त प्रतिवादीगण के अन्य जगह निवास करने होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम वाद पत्र स्वीकार किये जाने की सहमति दी है। वादीगण द्वारा प्रदर्शित करवाये गये दस्तावेजात एवं प्रतिवादीगण द्वारा दी गई सहमति व बैयनामा 01.09.1975 के अनुसार वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का किसी तरह से विरोध नहीं होने के कारण काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य है ऐसी स्थिति में विवाद्यक संख्या 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में व विवाद्यक संख्या 2 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(iii) अनुतोष

अतः विवाद्यक संख्या 1 का निर्णय वादीगण के पक्ष में व विवाद्यक संख्या 2 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित किया जा चुका है इस आधार पर वादीगण चाहे गये अनुतोष को आंशिक रूप से व प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेम अनुसार अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88–188 आर.टी.एक्ट **भली–भांति साबित होने पर वादी का वाद पत्र आंशिक एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर बैयनामा दिनांक 09.01.1975 के अनुसार विवादित भूमि वाके चक 14 पी.टी.डी. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 273/340 मुरब्बा नं. 27 के किला नंबर 1/2 की 0.203है0,, 2 की 0.253 है0, 9 की 0.253 है0, 10/2 की 0.203 है0, 11/2 की 0.202है0, 12 की 0.253है0, 19 की 0.253है, 20/2 की 0.203 है0, 21/2 की 0.063 है., 22 की 0.012है0 कुल 1.898 है. कमाण्ड मय खाला का वादीगण सं. 1/1 ता 1/3 एवं व प्रति सं. 2 ता 5 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब., प्रति. सं. 1/1 ता 1/5 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब., प्रति सं. 6 ता 10 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब., प्रति.सं. 11 ता 16 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब., प्रति.सं. 17/1 ता 17/6 का 1/6 हिस्सा ब.हि.ब., प्रति.सं. 18 का 1/6 हिस्सा भूमि के खातेदार टिनेन्ट घोषित किये जाते है। तहसीलदार रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वारिसान की जांच कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे। पर्चा डिक्री इस आशय की जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।**

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्डअधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक **06.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र(आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी (राज.) रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:36:41 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner